

राजभाषा प्रकोष्ठ



अपील

हिंदी भारत और भारतीय संस्कृति की पहचान है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर, 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा दिया और तब से यह केन्द्र सरकार के कार्यालयों में काम-काज की भाषा के रूप में उपयोग में लाई जा रही है। साथ ही, यह संपर्क भाषा के रूप में देश की एकता को कायम रखे हुए है।

उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास के कारण हिंदी का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। सोशल मीडिया अर्थात् ट्विटर, व्हाट्सएप, ई-मेल इत्यादि में हिंदी का खूब उपयोग किया जा रहा है। यूनिकोड एवं अन्य ई-उपकरणों (गूगल वाइस टाइपिंग, हिंदी फांट कनवर्टर, मशीन अनुवाद, ई-महाशब्दकोश इत्यादि) के माध्यम से पहले की तुलना में कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करना आसान हो गया है।

हमारे विश्वविद्यालय के काम-काज में हिंदी का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। समय-समय पर टंकण एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तथापि, संघ की राजभाषा नीति के समग्र क्रियान्वयन के लिए हमें वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करना पड़ेगा ताकि अन्य संस्थाओं के लिए हम आदर्श बन सकें तथा हम अपने संवैधानिक दायित्वों का समुचित तरीके से निर्वहन कर सकें।

हिंदी-दिवस के इस अवसर पर आप सभी से मेरी यह अपील है कि राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कार्यालय का काम-काज हिंदी में ही करें तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

विश्वविद्यालय के समस्त सदस्यों को **हिंदी दिवस** की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं।

जय हिन्द !

वाराणसी, 14.09.2018

राम

(राकेश भटनागर)
कुलपति